

समाचार
लक्ष्मणवन तालाब के किनारे से हटाया गया अतिक्रमण
(आयुक्त के निर्देश पर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने की कार्यवाही)



कोरबा 10 जून 2016 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा आज अतिक्रमण व अवैध कब्जे के विरुद्ध की जा रही सतत कार्यवाही की अगली कड़ी में पुराने कोरबा शहर स्थित लक्ष्मणवन तालाब के किनारे मकान बनाकर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाया गया। आयुक्त श्री अजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने दस्ता प्रभारी योगेश राठौर की अगुवाई में उक्त कार्यवाही की।

यहां उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री पी.दयानंद के दिशा निर्देशों के अनुरूप सम्पूर्ण जिले में अतिक्रमण हटाने की निरंतर कार्यवाही की जा रही है। नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में भी निगम द्वारा अवैध कब्जों को हटाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। निगम के अतिक्रमण दस्ता प्रभारी श्री योगेश राठौर ने बताया कि पुराने कोरबा शहर स्थित लक्ष्मणवन तालाब के किनारे मकान बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत प्राप्त होते ही आज निगम के अतिक्रमण दस्ते ने अवैध रूप से उक्त निर्मित किए जा रहे मकान को तोड़कर अतिक्रमण को हटाया। यहां उल्लेखनीय है कि जहां एक ओर तालाबों के संरक्षण व उनके संवर्धन के कार्य शासन द्वारा किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अतिक्रमणकारी इन महत्वपूर्ण स्थलों को भी अवैध कब्जों की चपेट में ले रहे हैं। तालाब से सटकर किए जा रहे उक्त अतिक्रमण को निगम ने अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उक्त कार्यवाही की है तथा निगम की यह कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

अवैध कब्जे व अतिक्रमण को प्रोत्साहन न दें- आयुक्त श्री अजय कुमार अग्रवाल ने अपील करते हुए कहा है कि नगर निगम कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अवैध कब्जे व अतिक्रमण को प्रोत्साहन न दिया जाए। निगम

द्वारा अवैध कब्जे व अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। अतः किसी भी प्रकार का अतिक्रमण व अवैध कब्जा न करें तथा अतिक्रमण को हटाने के परिणाम स्वरूप होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें।

भ्रमण के दौरान अवैध कब्जों पर नजर रखें— आयुक्त श्री अजय कुमार अग्रवाल ने निगम के जोन कमिश्नरों, राजस्व अधिकारियों, अभियंताओं व मैदानी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में भ्रमण के दौरान अतिक्रमण व अवैध कब्जे पर सतत नजर रखें तथा जहां कहीं भी नया अतिक्रमण किया जा रहा हो उसकी तत्काल सूचना अतिक्रमण दस्ता प्रभारी को दें। उनहोंने दस्ता प्रभारी श्री योगेश राठौर को कड़े निर्देश दिए हैं कि नया अतिक्रमण व अवैध कब्जा की जानकारी प्राप्त होते ही उसे हटाने हेतु त्वरित रूप से आवश्यक कार्यवाही करें तथा यह सुनिश्चित करें कि निगम क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पर भी अतिक्रमण व अवैध कब्जा न होने पाए।